न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 144/2016

उनवान

1. लालचन्द पुत्र स्व० नारायणदास,
2. भंवर लाल पुत्र स्व0 नारायणदास,
3. मुरलीधर पुत्र स्व0 नारायणदास,
4. मक्खन लाल पुत्र स्व0 नारायणदास,
5. रामेश्वर पुत्र स्व0 नारायणदास,

समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामपाल पुत्र दौलतराम,
2. श्रवण कुमार पुत्र बलदेव,
3. विमला देवी पत्नी धन्नाराम,
4. सोनाराम पुत्र लच्छुराम,
5. रामकुंवार पुत्र लादूराम,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

6. रामलाल पुत्र भक्ताराम शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम विमलपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रामदयाल यादव पुत्र बद्रीनारायण यादव जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौराने दावा)

7/1 श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी स्व० श्री रामदयाल यादव,

7/2 श्रवण कुमार पुत्र स्व0 श्री रामदयाल यादव,

7/3 गजानन्द यादव पुत्र स्व0 श्री रामदयाल यादव,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

8. कृष्णा देवी पत्नी मुरलीधर, जाति स्वामी, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
9. कैलाश चन्द पुत्र नानगराम,
10. जानकी देवी पत्नी नानगराम,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

11. भूरा पुत्र भैरू, जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
12. मुरलीधर पुत्र उदा,
13. जगदीश पुत्र उदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

14. नानूराम पुत्र उदा,

15. रामचन्द्र पुत्र उदा,

16. कानाराम पुत्र उदा,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

17. रहिन एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा कालाडेरा, मूर्तहीन जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, नक्शा दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 89 बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 27.10.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कि वाके ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर मे साबिक खसरा नम्बर 90/2 से बने हाल खसरा नम्बर 523 रकबा 0.61 हैक्टर स्थित है। जो कि वादीगण व अन्य सहखातेदारो की खातेदारी व कब्जे कास्त की भूमि है। वादीगण व अन्य सहखातेदारो द्वारा उक्त भूमियों का मनबट बटवारा कर अलग अलग कास्त करते चले आ रहे है। वादीगण के कब्जे मे खसरा नम्बर 523 रकबा 0.61 हैक्टर भूमि बटवारे मे आयी है। जिस भूमि मे वादीगण का कब्जा व खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे चली आ रही है। जो भूमि वाद पत्र मे भूमि विवादग्रस्त कहा गया है।

उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त मे वादी सख्या 1 लालचन्द का हिस्सा 1112/6100 व वादी सख्या 2 भंवरलाल का हिस्सा 942/6100 व वादी सख्या 3 मुरलीधर का हिस्सा 962/6100 व वादी सख्या 4 मक्खनलाल का हिस्सा 618/6100 व वादी सख्या 5 रामेश्वर का हिस्सा 1112/6100 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे चला आ रहा है। तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो का है। तथा वादीगण व अन्य सहखातेदार अपने हिस्से अनुसार शामलाती लगान सरकारी जमा करवाते आ रहे है।

उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 523 के दक्षिण दिशा मे प्रतिवादीगण सख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 522 व 524 एंव प्रतिवादीगण सख्या 9 लगायत 16 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 527 है। जिन भूमियों की दौराने बन्दोबस्त से पूर्व साबिक नक्शे व रिकार्ड मे सीमा व रिकार्ड [illegible]। लेकिन दौराने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी [illegible] अवैध तरीके से हाल नक्शे मे खसरा नम्बर 523 की दक्षिणी सीमा को करीब 4 मीटर चौडी उत्तर की और बढ़ा दी गई जिसमे वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 523 का रकबा गत रकबे से हाल रकबा कम पड़ता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वादीगण ने उक्त विवादीत भूमियों की नक्शे कि दुरूस्ती करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पूर्व मे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 136 एल.आर.एक्ट 1956 का पेश किया था। जो उनवानी नारायणदास बनाम सरकार वगैराह मुकदमा नम्बर 17/2007 था तथा उक्त प्रार्थना पत्र अदम हाजरी मे दिनांक 16-1-2015 को खारीज होने पर वादीगण ने बाजदारी प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसका मुकदमा नम्बर 6/2015 है। जो राजस्व केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं मे निर्णय दिनांक 11-6-2016 को खारिज फरमा दिया गया था। जिससे अब वादीगण को उक्त दरूस्ती हेतु वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण को अधिकार हासिल है कि उक्त वाद पत्र मे घोषणा व नक्शा दुरूस्ती वाद पत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित भूमि विवादग्रस्त साबिक खसरा नम्बर 90/2 मिन से बने हाल खसरा नम्बर 523 की दक्षिणी सीमा को उत्तरी ओर करीब 4 मीटर भूमि बढ़ा दी गई। जिससे वादीगण की भूमि का नक्शा गत नक्शे के अनुरूप हाल नक्शा न बनाकर उक्त हाल नक्शे की दक्षिणी सीमा को उत्तर की ओर बढ़ा देने से प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 522, 524, व 527 का नक्शा बढ़ा दिया गया तथा वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 523 का नक्शा हाल छोटा कर दिया गया जिसको साबिक नक्शा व साबिक रिकार्ड अनुसार हाल नक्शा व हाल रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

उक्त वर्णित भूमि विवादग्रस्त के हाल नक्शे व रिकार्ड को कम व बेशी करने का बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार नही था लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियो ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण की भूमि का नक्शा व रिकार्ड कम किया है। जो कानूनन दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा व नक्शा दुरूस्ती का डीक्री किया जाकर वाद पत्र के मद नम्बर 2 मे वर्णित भूमि साबिक खसरा नम्बर 90/2 मिन से बने हाल खसरा नम्बर 523 रकबा 0.61 हैक्टर वाके ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर की दक्षिणी सीमा को उत्तरी सीमा की ओर हाल खसरा नम्बर 522, 524, व 527 मे करीब 4 मीटर भूमि बढ़ा दी गई जिसको हाल राजस्व रिकार्डवहाल नवशे मे गत नक्शे के अनुसार दुरूस्त फरमाया जाये।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट विमलपुरा में पेश हुई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6, 8 ता 18 बावजूद [illegible] स्थित है अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे [illegible] प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के संबंध में तहसीलदार तहसील चौमूं से रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2023 के गत ख0न0 90 रकबा 72 बीधा

Scanned with CamScanner

17 बिस्वा रहा है। मुताबिक जमाबन्दी साम्वत् 2035–2038 के खसरा नम्बर 90 से 90/1 रकबा 30 बीघा, 90/2 रकबा 40 बीघा ख0न0 90 मि0 2 बीघा 17 बिस्वा बने है। उक्त खसरा नम्बरो से मिसल बन्दोबस्त साम्वत् 2046–2065 में मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के निम्न नम्बर बने है।

वर्तमान		गत		वर्तमान		गत	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
169	0.91	90 मि0	0.91	510	0.38	90 मि0	0.38
170	0.16	90/1 मि0	0.16	511	0.03	90 मि0	0.03
171	2.50	90/2 मि0	2.50	512	0.01	90 मि0	0.01
172	0.53	90/2 मि0	0.53	513	0.02	90 मि0	0.02
173	0.50	90/2 मि0	0.50	523	0.61	90/2 मि0	0.61
174	0.01	90/2 मि0	0.01	533	0.14	90/2 मि0	0.14
175	0.50	90/2 मि0	0.50	534	1.24	90/2 मि0	1.24
176	0.01	90/2 मि0	0.01	608/1019	0.07	90/1 मि0	0.07
177	0.01	90/2 मि0	0.01	522	0.05	1991 मि0	0.05
178	1.60	90/2 मि0	1.60	524	0.82	1991 मि0	0.82
179	0.89	90/2 मि0	0.89	525	0.19	1991 मि0	0.19
180	0.56	90/1 मि0	1.56	526	0.95	1991 मि0	0.95
181	0.01	90/1 मि0	0.01	527	1.19	2001 मि0	1.19
182	1.36	90/1 मि0	1.36	606/1020	0.06	90/1 मि0	0.06
183	0.01	90/1 मि0	0.01	511/1023	0.04	90 मि0	0.04
184	2.06	90/1 मि0	2.06	509/1024	0.06	90 मि0	0.06
185	0.24	90/1 मि0	0.24	306	1.49	90	0.90
						91	0.12
						92	0.15
						86	0.27
						116	0.05
189	0.03	90/1 मि0	0.03	528	0.09	200 मि0	0.09

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

गत ख0न0 90/2 मि0 से बने हाल ख0न0 523 रकबा 0.61 है0 वादीगण लालचन्द पुत्र नारायणदास हि0 278/1525 [illegible] पुत्र नारायणदास हि0 471/3050 मुरलीधर पुत्र नारायणदास हि0 481/3050 मक्खनलाल पुत्र नारायणदास हि0 309/3050 रामेश्वरलाल पुत्र नारायणदास हि0 278/1525 जाति स्वामी के नाम अंकित है शेष हिस्से की खातेदारी अन्य सहखातेदारो के नाम से है।

Scanned with CamScanner

गत खसरा नं0 [illegible] के [illegible] [illegible] सुरजभान हि0 33/[illegible] जाति [illegible] रामकुंवार पुत्र [illegible] हि0 1/4 [illegible] पुत्र [illegible] हि0 1/2 जाति अहिर [illegible] पुत्र [illegible] हि0 1/[illegible] [illegible] हि0 1/[illegible] जाति अहिर की खातेदारी में है।

गत खसरा नं0 199 से बने हाल खसरा नं0 526 रकबा 0.63 है0 [illegible] पुत्र [illegible] हि0 1/16 [illegible] हि0 1/16 जाति अहिर [illegible] पुत्र [illegible] हि0 1/4 रामकुमार पुत्र [illegible] हि0 771/12304 [illegible] पुत्र [illegible] हि0 1/2 जाति अहिर [illegible] पुत्र [illegible] हि0 1/32 जाति [illegible] हि0 15/6152 [illegible] पुत्र [illegible] हि0 15/6152 [illegible] पुत्र [illegible] हि0 645/24608 जाति अहिर की खातेदारी में है।

गत ख0न0 200 से बने हाल ख0न0 527 रकबा 1.19 है0 [illegible] जगदीश भानुराम मुरलीधर रामचन्द्र पि0 [illegible] जाति अहिर की खातेदारी मे दर्ज है।

प्रार्थी द्वारा गत ख0न0 90/1 90/2 90/3 199 व 200 भू प्रबन्ध विभाग से जारी आवेदन क्रमांक 1978 दिनांक 11.09.2018 व इनके हाल ख0न0 की नक्शा की प्रतिलिपि पटवारी हाल पिनोई से प्राप्त कर हाल नक्शा व गत नक्शा का मिलान किया गया जिसके अनुसार ख0न0 गत 90 जिसकी दक्षिणी सीमा पर हाल ख0न0 523 स्थित है व सीमा 4 मीटर चौडी तथा 15 मीटर लम्बाई मे उत्तर की ओर दबा दी गई है। अर्थात् हाल ख0न0 522, 524, 527 की उत्तरी सीमा को ख0न0 523 में बढा दी गई है जिसको संलग्न नक्शे में ए बी व सी बिन्दु से लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसके अनुसार ख0न0 522(8X4)=32वर्ग मीटर, ख0न0 524(100X4)=400वर्ग मीटर, ख0न0 527(50X4)=200वर्ग मीटर, कुल 632 वर्ग मीटर रकबा गत ख0न0 90 के हाल ख0न0 523 के नक्शे में जोडा जाना उचित है।

बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। जिसमें वादीगण के अधिवक्ता ने कथन किया की वादपत्र में वर्णित विवादित भूमि के बाबत वाद पत्र में चाही गयी दादरसी एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 7/1 से 7/3 के अधिवक्ता ने तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने मे सहमति जाहिर की गई। प्रा0 पत्र, दस्तावेज रिपोर्ट [illegible]दार चौमू व बहस का बगोर अवलोकन किया गया। जिसमें य[illegible] [illegible]त के हाल नक्शे व रिकार्ड को कम व बेशी करने [illegible] [illegible] कर्मचारियों को कोई कानूनी अधिकार नही था लेकिन बन्दोबस्त विभाग के कर्मचा[illegible] ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण की भूमि का नक्शा व रिकार्ड कम किया है। जिससे प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कानूनन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं तथा वाके ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर के हाल ख0न0 522, 524, 527 की उत्तरी सीमा को ख0न0 523 में बढा दी गई है जिसको संलग्न नक्शे में ए बी व सी बिन्दु से लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसके अनुसार ख0न0 522(8X4)=32वर्ग मीटर, ख0न0 524(100X4)=400वर्ग मीटर, ख0न0 527(50X4)=200वर्ग मीटर, कुल 632 वर्ग मीटर रकबा गत्त ख0न0 90 के हाल ख0न0 523 के नक्शे में जोडे जाने की घोषणा की जाती है तथा हाल राजस्व रिकार्ड एवं हाल नक्शा में उक्तानुसार दुरूस्थी करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राहुल जैन (I.A.S)

उनवान

1. लालचन्द पुत्र स्व० नारायणदास,
2. भवर लाल पुत्र स्व0 नारायणदास,
3. मुरलीधर पुत्र स्व0 नारायणदास,
4. मक्खन लाल पुत्र स्व0 नारायणदास,
5. रामेश्वर पुत्र स्व0 नारायणदास

समस्त जाति स्वामी, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. रामपाल पुत्र दौलतराम,
2. श्रवण कुमार पुत्र बलदेव
3. विमला देवी पत्नी धन्नाराम,
4. सोनाराम पुत्र लच्छुराम,
5. रामकुंवार पुत्र लादूराम,

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

6. रामलाल पुत्र भंवरराम शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बिमलपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. रामदयाल यादव पुत्र बद्रीनारायण यादव जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (मृतक दौरान दावा)

7/1 श्रीमती नर्बदा देवी पत्नी स्व० श्री रामदयाल यादव,

7/2 श्रवण कुमार पुत्र स्व0 श्री रामदयाल यादव,

7/3 गजानन्द यादव पुत्र स्व0 श्री रामदयाल यादव,

समस्त जाति अहीर निवा[illegible] जयपुर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

8. कृष्णा देवी पत्नी मुरलीधर जाति स्वामी, नि[illegible] ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
9. कैलाश चन्द पुत्र ,नानगराम,
10. जानकी देवी पत्नी नानगराम,

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

11. भूरा पुत्र भैरू, जाति अहीर निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

Scanned with CamScanner

12. मुरलीधर पुत्र उदा,

13. जगदीश पुत्र उदा,

14. भानुराम पुत्र उदा,

15. रामचन्द्र पुत्र उदा,

16. कानाराम पुत्र उदा,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

17. रहिन एस0 बी0 बी0 जे0 शाखा कालाडेरा, मुर्तहिन जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।

18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 व 89 बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :- 144 / 2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा वाके ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर के हाल ख0न0 522, 524, 527 की उतरी सीमा को ख0न0 523 में बढा दी गई है जिसको संलग्न नक्शे में ए बी व सी बिन्दु से लाल स्याही से दर्शाया गया है। जिसके अनुसार ख0न0 522(8X4)=32वर्ग मीटर, ख0न0 524(100X4)=400वर्ग मीटर, ख0न0 527(50X4)=200वर्ग मीटर, कुल 632 वर्ग मीटर रकबा गत ख0न0 90 के हाल ख0न0 523 के नक्शे में जोड़े जाने की घोषणा की जाती है तथा हाल राजस्व रिकार्ड एवं हाल नक्शा में उक्तानुसार दुरूस्थी करने के आदेश दिये जाते है। शेष हिस्सा बदस्तुर रहेगा। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.10.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	3		मीजान	2	

नोट:–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 14:32:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner